न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, नदबई

(पीठासीन अधिकारी– नीरज कुमार मीना, आर.ए.एस)

वाद संख्या – 81/2012
किस्म मुकदमा– दावा
तारीख निर्णय – 19.02.2019

1. मांगीलाल पुत्र रघुनाथ जाति गुर्जर निवासी नगला पहाड़ खां तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.

– वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

– प्रतिवादी

उपस्थितः– 1. श्री अशोक कुमार एण्ड्
2. पैरोकार सरकार

निर्णय दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर. टी. ए.

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए. पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बरान् 176 रकवा 0.47, 186 रकवा 0.25 , 252 रकवा 0.90, का वादी सम्पूर्ण हिस्से का व खसरा न. 188 रकवा 0.22, 189 रकवा 0.14 , 190 रकवा 0.01, 192 रकवा 0.01, 193 रकवा 0.13 का हिस्सा का 1/2 हिस्से का ख.न. 38 रकवा 1.14 , 41 रकवा 0.33 , 175 रकवा 0.26, 185 रकवा 0.34 , 246 रकवा 0.57 का 1/3 हिस्से का वाके ग्राम नगला पहाड़ खां तहसील नदबई मेंस्थित है। तथा वादी गैर खातेदार काश्तकार है। हाल आराजी खाता 63 के खसरा न. 176 रकवा 0.47, 186 रकवा 0.25, 252 रकवा 0.90 व खाता स. 62 के हाल आराजी ख.न. 38 रकवा 1.14, 41 रकवा 0.33 , 175 रकवा 0.26 , 185 रकवा 0.34, 246 रकवा 0.57 व खाता स. 54 के हाल ख.न. 188 रकवा 0.22, 189 रकवा 0.14 , 190 रकवा 0.01 , 192 रकवा 0.01 , 193 रकवा 0.13 हैक्ट. नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2060 से साबिक ख.न. 140 रकवा 1 बी.17 वि., 149 रकवा 1 बी. , 31 रकवा 4 बी.10वि., 33 रकवा 1 बी. 6 वि. , 139 रकवा 1 बी. 1 वि. , 152 रकवा 1 बी. 7 वि. , 192 रकवा 2 बी. 5 वि. , 151 रकवा 17 वि. , 153 रकवा 11 वि. , 154 रकवा 1 वि. , 156ने है। तथा नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2028 सं उक्त साबिक ख.न. के साबिक ख.न. 135 रकवा 2 बी. 17 वि. , 137 रकवा 1 बी. 11 वि. , 169 रकवा 5 बी. 11 वि. , 29 रकवा 7 बी. 1 वि. , 31 रकवा 2 बी. 134 रकवा 1 बी. 13 वि. , 142 रकवा 2 बी. 3 वि. 163 रकवा 3 बी. 10 वि. , 139 रकवा 1 बी. 13 वि. , 140 रकवा 11 वि. , 141 रकवा 1 बी. 7 वि. से बने है। साबिक ख.न. 135 रकवा 2 बी. 17 वि. , 137 रकवा 1बी. 11 वि. , 169 रकवा 5 बी. 11 वि., 29 रकवा 7 बी. 1वि. , 31 रकवा 2 बी. , 134 रकवा 1 बी. 13 वि. , 142 रकवा 2 बी. 3 वि. , 163 रकवा 3 बी. 10 वि., 139 रकवा 1 बी. 13 वि. , 140 रकवा 11 वि. , 141 रकवा 1 बी. 7 वि. के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संवत 2011 में वादी का बाबा व पिता व उनकी मृत्यु के बाद विरासतन वादी काबिज होकर आज तक खातेदार की हैसियत से काश्त करता चला आ रहा है। लेकिन रेवेन्यु रिकार्ड में गैर खातेदार के इन्द्राज चले आ रहे है। तथी सं वादी के बाबा कजौड़ी व बाबा की मृत्यु के बाद वादी वादीगण स्वयं के नाम विरासत गैर खातेदारी के अंकन चले आ रहे है। तथा विवादित आराजी से वादीगण को आज तक बेदखल भी नही किया गया है। इसलिए वादीगण का कानून विवादित आराजी पर खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो चुके है। परन्तु राजस्व कर्मचारियो की गलती से वर्तमान में विवादित आराजी पर गैर खातेदार के अंकन हो रहा है। अतः वादीगण विवादित आराजी पर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है। तथा राजस्व रिकार्ड में हो रहे गैर खातेदारी के इन्द्राजात को कलमजन कर खातेदारी के इन्द्राजात करा पने के अधिकारी है। वादीगण विवादित अराजी पर रिकार्ड में गलत तरीके से गैर खातेदारी के इन्द्राजत होने के कारण प्रतिवादी के कर्मचारियो हल्का पटवारी ने हम वादीगण को विवादित आराजी से बेदखल कर दिनांक 03.05.12 को राज लेने की धमकी दी है। यदि प्रतिवादी उक्त धमकी में कामयाब हो गया तो हम वादीगण को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद ना हो सकेगी अतः हम वादीगण को जरिये हुक्मइम्तनाई दावामी की डिक्री सेपाबन्द कराने के अधिकारी है।

अत प्रार्थना कि विवादित आराजी पर वादीगण के नाम होरहे गैर खातेदार के इन्द्राजात को कलमजन कर खातेदारी के इन्द्राजत दर्ज किया जावें। तथा वादीगण को विवादित आराजी का खातेदारकाश्तकार घोषित किया जावे।

दावा दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलव किये गये। प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार उपस्थित हुऐ । तथा पना जबाब दावा पेश किया गया। तथा अपने जबाब में कहा कि विवादित अराजी कस्टोडियन भूमि है। विवादति भूमि का आंवटन पत्र नही है। दावा खारिजी के है। वादीगण के दावा एवं प्रतिवादीगण के जबाब के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की गई जो निम्नुसार है।

<u>तनकी स. 1</u> आया वादी विवादित आराजी पर गैर खातेदारी इन्द्राजत कलमजन कर खातेदारी प्राप्त करा पाने के अधिकारी है। —जिम्मेवादीगण

<u>तनकी स. 2</u> आया भूमि कस्टोडियन भूमि है व आवंटन नही है अतः काबिज खारिजी के है। — जिम्मे प्रतिवादी

वादी द्वारा आपने वाद पत्र के समर्थन मे नकल जमाबन्दी सवत हाल 2066—69 वाके ग्राम नगला पहाड़ खां, नकल मिलान क्षेत्रफल सवत 2060 वाके नगला पहाड़ खां , नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 वाके ग्राम नगला पहाड़ खां, नकल जमाबन्दी खैवट खतौनी संवत 2015—19 वाके ग्राम नगला पहाड़ खां, नकल जमाबंन्दी खैवट खतौनी संवत 2028—32 वाके ग्राम नगला पहाड़ खां, नकल जमाबंन्दी संवत 2015—2019 वाके ग्राम नगला पहाड़ खां, नकल जमाबंन्दी संवत 2028 वाके ग्राम नगला पहाड़ खां, नकल जमांबंन्दी संवत 2049 लगायत 2052 वाके नगला पहाड़ खां पेश कि एव मौखिक बयान के रूप मे मांगीलाल पुत्र रघुनाथ जाति गुर्जर निवासी नगला पहाड़ खां तह0 नदबई के ब्यान पेश किये गये।

प्रतिवादी की और से कोई भी मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये गये। और नही जिरह की गई। साक्ष्यप्रतिवादी बंन्द कर पत्रवाली वास्ते बहस नियत की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस सुनी गई सुनी गई। हमने बहस पर ममन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया । निर्णय तनकीवार निम्न प्रकार है।

तनकी स. 1 :– आया वादी विवादित आराजी पर गैर खातेदारी इन्द्राजत कलमजन कर खातेदारी प्राप्त करा पाने के अधिकारी है :– उक्त तनकी को सिद्ध करने भार वादीगण का था वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंन्दी संवत नकल जमाबन्दी सवत हाल 2066–69 वाके ग्राम नगला पहाड़ खां, पर खाता स. 54, 62, 63,, के आराजी ख.न. आराजी खसरा नम्बरान् 176 रकवा 0.47, 186 रकवा 0.25 , 252 रकवा 0.90, का वादी सम्पूर्ण हिस्से का व खसरा न. 188 रकवा 0.22, 189 रकवा 0.14 , 190 रकवा 0.01, 192 रकवा 0.01, 193 रकवा 0.13 का हिस्सा का 1/2 हिस्से का ख.न. 38 रकवा 1.14 , 41 रकवा 0.33 , 175 रकवा 0.26, 185 रकवा 0.34 , 246 रकवा 0.57 का 1/3 हिस्से का वाके ग्राम नगला पहाड़ खां में वादी मांगीलाल पुत्र रघुनाथ की गैर खातेदारी का अंकन है।नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2060 से साबिक ख.न. 140 रकवा 1 बी.17 वि., 149 रकवा 1 बी. , 31 रकवा 4 बी.10वि., 33 रकवा 1 बी. 6 वि. , 139 रकवा 1 बी. 1 वि. , 152 रकवा 1 बी. 7 वि. , 192 रकवा 2 बी. 5 वि. , 151 रकवा 17 वि. , 153 रकवा 11 वि. , 154 रकवा 1 वि. , 156ने है। तथा नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2028 स उक्त साबिक ख.न. के साबिक ख. न. 135 रकवा 2 बी. 17 वि. , 137 रकवा 1 बी. 11 वि. , 169 रकवा 5 बी. 11 वि. , 29 रकवा 7 बी. 1 वि. , 31 रकवा 2 बी. 134 रकवा 1 बी. 13 वि. , 142 रकवा 2 बी. 3 वि. 163 रकवा 3 बी. 10 वि. , 139 रकवा 1 बी. 13 वि. , 140 रकवा 11 वि. , 141 रकवा 1 बी. 7 वि. से बने है। साबिक ख.न. 135 रकवा 2 बी. 17 वि. , 137 रकवा 1बी. 11 वि. , 169 रकवा 5 बी. 11 वि., 29 रकवा 7 बी. 1वि. , 31 रकवा 2 बी. , 134 रकवा 1 बी. 13 वि. , 142 रकवा 2 बी. 3 वि. , 163 रकवा 3 बी. 10 वि., 139 रकवा 1 बी. 13 वि. , 140 रकवा 11 वि. , 141 रकवा 1 बी. 7 वि. बने तथा नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 एवं 2060 वाके नगला पहाड़ खां पर गत खसरा एवं हाल खसरा नम्बरान का मिलान होता है। जमाबन्दी संवत (खतौनी) 2015 लगायत 2019 में खाता स. 17,21,32,81,42,50,66,67, वाके ग्राम नगला पहाड़ खां पर वादी के बाबा कजौड़ी पुत्र भम्बू एवं वादी के पिता रघुनाथ पुत्र कजौड़ी कौम गुर्जर पटटेदार सा.देह दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंन्दी संवत 2028 लगायत 32 में खाता न. 42,50 में रघुनाथ पुत्र कजौड़ी कौम गुर्जर हि. बराबर सा.देह गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। तथा नकल जमाबन्दी संवत 2049 लगायत 2050 में खता न. 66,67 में वादी के पिता रघुनाथ पुत्र कजौड़ी कौम गुर्जर गैर खातेदार दर्ज है। इस प्रकार संवत 2015–19 में पटटेदार एवं संवत 2028 से लगातार गैर खातेदार दर्ज चला आ रहा है। और वादी के पिता की मृत्युके बाद वादी की खातेदारी में गैर खातेदार चेल आ रहा है। तथा काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। और विवादित आराजी से प्रतिवादी ने आज तक बेदखल भी नही किया गया है। एव मौखिक बयान के रूप मे मांगीलाल पुत्र रघुनाथ जाति गुर्जर निवासी नगला पहाड़ खां तह0 नदबई के ब्यान से भी स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त है। उक्त तनकी के विरोध में प्रतिवादी द्वारा कोई भी दास्तावेजी साक्ष्य एवं मोखिक साक्ष्यपेश नही किया गया। अतः उक्त तनकी वादीगण के हम में एवं प्रतिवादी के खिलाफ तय की जाती है।

तनकी स. 2 :– :– आया भूमि कस्टोडियन भूमि है व आवंटन नही है अतः काबिज खारिजी के है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी का था प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य रिकार्ड एवं मौखिक साक्ष्य पेश नही किये गये जिससे किउक्त भूमि कस्टोडियन सिद्ध होती हो अतः उक्त तनकी प्रतिवादी के खिलाफ तय कि जाती है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस प्रकार तनकीवार निर्णय वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित है। अतः दावा वादी इस कदर डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी 176 रकवा 0.47, 186 रकवा 0.25, 252 रकवा 0.90, का वादी सम्पूर्ण हिस्से का व ख.न. 188 रकवा 0.22, 189 रकवा 0.14, 190 रकवा 0.01, 192 रकवा 0.01, 193 रकवा 0.13, का 1/2 हिस्से का व ख.न. 38 रकवा 1.14,41 रकवा 0.33, 175 रकवा 0.26, 185 रकवा 0.34, 246 रकवा 0.57 का 1/3 हिस्से का वाके ग्राम नगला पहाड़ खां तह0 नदबई पर गैर खातेदारी के इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(नीरज कुमार मीना)
उपखण्ड़ अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official